

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- जो.वि.प्रा./

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि निविदा प्राप्ति के समय अनुबन्ध के पृष्ठ संख्या 6 पर संवेदक के हस्ताक्षर एवं संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं जिससे आगे चलकर कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसके अतिरिक्त निविदा स्वीकृति के पश्चात् संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ न करने/अनुबन्ध निष्पादित न करने की स्थिति में संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है जिससे पुनः निविदाएं आमंत्रित करने पर एवं उक्त कार्य कराने में देरी होती है जिसके फलस्वरूप ऊंची दरे प्राप्त होने से विकास प्राधिकरण के कोष को हानि होती है :-

1. अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निविदा प्राप्ति के समय समस्त पूर्तियां करने के पश्चात् अनुबन्ध के पृष्ठ संख्या 6 एवं वांछित राशि के नोनज्यूडिसियल स्टाम्प पर संवेदक एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर पश्चात् ही निविदाएं स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में अनुबन्ध पर बिना हस्ताक्षर के निविदा स्वीकृत की जाती है तो संबंधित अधिकारी इससे हुए आर्थिक नुकसान के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।
2. संवेदक द्वारा कार्यादेश जारी होने की तारीख से 10 दिन में अनुबन्ध निष्पादित नहीं करने की स्थिति में संवेदक के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
3. अनुबन्ध की धारा 2 के तहत स्पान वाईज "प्रोरोटा प्रोग्रेस" का निर्धारण किया जाना चाहिये और उसी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं संवेदक के बिल प्रस्तुत होने पर उसका उल्लेख बिल में अवश्य किया जाए।
4. यदि संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने में शिथिलता बरती जाती है एवं इसके फलस्वरूप प्राधिकरण को कोई हानि होती है तो वे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

३५
आयुक्त

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक :- 6/4/2009

क्रमांक :- जो.वि.प्रा./ 541 से 578

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

8. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. श्री , सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13. श्री , कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
14. श्री , कनिष्ठ लेखाकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

३५
आयुक्त

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर